उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास विभाग–2
संख्याः–27/VII-1/31–उद्योग/2016
देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्य–कलापों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण, उनके कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी विषयों के समाधान, समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के विभिन्न विषयों पर नीति निर्धारण करने एवं सार्वजनिक निगम/उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर परामर्श हेतु श्री राज्यपाल औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव न्याय, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
(5)	संबंधित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
(7)	निदेशक, ऑडिट, उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, कमिश्नर टैक्स भवन, मसूरी बाई पास रोड रिंग रोड़, देहरादून।	सदस्य
(8)	03 विशेषज्ञ जो वित्त/लेखा/कम्पनी मामलों की गहन जानकारी रखते हो	सदस्य

2– समिति द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के मामलों पर विचार करते समय गठित समिति के अतिरिक्त जैसा आवश्यक समझे तीन विशेषज्ञों को सदस्य के रुप में आमंत्रित किया जा सकता है।

3– समिति समिति द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के मामलों निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार करते हुये परामर्श दिया जायेगा :–

(1) सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों का वेतन पेंशन निर्धारण, वेतन विसंगतियों एवं कार्मिक विषयों का निराकरण, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं की सेवा में विभिन्न वर्ग के आरक्षित पदों के लिये शासन की सामान्य नीति के आधार पर निर्देश/मार्गदर्शन जारी करना।
(2) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में गैर सरकारी निदेशकों/अध्यक्षों को अनुमन्य सुविधाओं के सबन्ध में नीति निर्धारण।
(3) सार्वजनिक उद्यमों के कार्य–कलापों का अध्ययन/अनुश्रवण एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु निर्देश/मार्गदर्शन।
(4) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के मार्गदर्शन एवं निर्देश हेतु सामान्य नीति निर्धारण।
(5) सार्वजनिक उद्यमों की राज्य सहायता के संबंध में परामर्श एवं राज्य सहायता समिति की बैठकों का आयोजन करना।
(6) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/शासकीय विभागों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में गठित समिति से संबंधित कार्य।

2–

4– सार्वजनिक उपकमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के उपरोक्त प्रकरणों को सम्बन्धित निदेशक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात संबंधित प्रशासकीय विभागीय द्वारा विभागीय संस्तुति के उपरान्त औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा समिति की बैठक आयोजित कराते हुये समिति के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की संस्तुतियों के पश्चात् वित्त विभाग की सहमति के आदेश जारी किये जायेगें।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 85/XXVII(7)/2017 दिनांक 25 जनवरी, 2017 की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्याः– 27/VII-1/31–उद्योग/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. संबंधित सार्वजनिक उपकमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक।
6. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
7. एन०आई०सी०
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

uo